Nav Jyoti, Vol. 6, No. 12, January-June 2018 ISSN : 2249-7331

झारखण्ड के पांचवी अनुसूची क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक चेतना का विकास : उराँव जनजाति के विशेष संदर्भ में

संतोष ओरांव

शोध छात्र, समाजशास्त्र, रांची विश्वविद्यालय, रांची

झारखण्ड एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ पायी जाती है। संविधान में जनजाति के परिभाषा को सीमांकित करते हुए कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ वे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342 की लोक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट किया है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात ही जनजातियों तथा जनजाति समुदायों को ''अनुसूचित जनजाति'' की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ''पिछड़ी जनजातियों'' का संदर्भ है, तथा भारत सरकार के आदेश 1936 की तेरहवीं अनुसूची के अन्तर्गत असम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा बेराट, मद्रास तथा बम्बई की कुछ जनजाति को पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की कुल जनसंख्या 32966238 है। जिसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 8642664 है, जो राज्य की जनसंख्या का 26.3 प्रतिशत है तथा राज्य में उराँव जनजाति की आबादी 1572759 है। जो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति का 18.14 प्रतिशत है। राज्य के 19 जिलों में आदिवासियों की संख्या में कमी आयी है जो 2001 की जनगणना में झारखण्ड की कुल जनसंख्या में जनजातियों की आबादी 26.60 प्रतिशत थी। पलामू, बोकारो ऐसे जिले हैं जहाँ आदिवासियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है जो इनके बदलते हुए जनसंख्या परिदृष्य को दर्शाते हैं और पता चलता है कि अधिकांश क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या में प्रायः कमी दिखाई पड़ रही है जो कहीं न कहीं उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले विपरीत परिदृश्य को उजगार करता है।

आदर्श रूप में, जनजातीय समाज आकार में छोटे, अपने समाजिक, विधिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों की स्थानिक एवं कालिक परास (टेम्पोरल रेन्ज) में प्रतिबन्धित होते हैं, तथा नैतिकता, धर्म तथा तदनुरूप आयामों की विश्व दृष्टि रखते हैं। अभिलाक्षणिकता की दृष्टि से भी जनजातीय भाषायें अलिखित होती हैं, अस्तु संचार की सीमा काल और दोनों ही दृष्टियों से अवश्यम्भावी रूप से संकीर्ण है। इसके बावजूद जनजातीय समाज आलेखों में मितव्ययिता प्रदर्शित करते हैं तथा अपने में एक ऐसी अभिसंकुचन एवं आत्मनिर्भरता रखते हैं जिसका आधुनिक समाज में अभाव है।

उराँव की उत्पति—उराँव अपनी भाषा में अपने को कुडुख कहते हैं। कुडुख शब्द का संबंध संस्कृत धातु कर्ष (हल चलाना) से है। जो कर्षण से होकर कुषर, कुडुखर, कुडुख हो गया। कर्षण से कुडुखर में परिवर्त्तन ष से ख होना नासिकता से संबंध रखता है।

इस नाम की उत्पति का एक बड़ा रोचक वर्णन एक उराँव लोककथा में मिलता है। बहुत पहले सुदूर अतीत में एक मुनि तपस्वी बिना अन्न जल के वर्षों तक एक ही मुद्रा में तपस्या में लीन रहे। इस दीर्घ काल में उनका शरीर बाल्मीकि या बांबी के रूप में बदल गया। अर्थात दीमक के ढेर से ढक गया, एक कटीली झाड़ी उग आई। जिसका एक लम्बा कांटा उसके उर छाती में घुस गया, अंत में एक लकड़हारा भूलवष मुनि को दीमक का बांबी समझ कर कुल्हाड़ी के बेट से आघात कर उसे तोड़ दिया किन्तु वह आश्चर्य चकित रह गया। जब एक जीवित पुरूष को पाया। इस अषिष्ट ढंग से समाधि भंग होने से विचलित मुनि एकाएक खड़े हो गए। तब उनके सीने में धंसा हुआ कांटा टूट गया और रक्त बहने लगा। पृथ्वी माता पर खुन के धब्बे नहीं पड़े इस इच्छा से उसे अपनी अंजुलि में भर लिया। जब

उसे शौच–संवेग का अनुभव हुआ तो पत्ते का दोना बनाकर उसमें खून भरकर पास में ही छायादार जगह में रख दिया। इस खुन से एक लड़का और एक लड़की (भाई–बहन) प्रकट हुए। तब मुनि वहाँ से चल पड़े। वहाँ से मुनि को जाते देख उनलोगों ने कहा, रूकिये, हमें छोड़कर मत जाइए। आपने ही हमें संसार में लाया है। हमारी जीविका कैसे चलेगी ? मुनी ने उत्तर दिया ''तुम खेतीहर बनोगे। इस जंगल को साफ करो और खेती को अपना पेशा बनाओ।'' ये उराँव के प्रथम पूर्वज (माता–पिता) थे जो मुनि के उर के खुन से उत्पन्न हुए थे इसलिए उराँव कहलाएँ।

सामाजिक जीवन–परिवार उराँव जनजाति का मूल एवं सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही अन्य सारे सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। उराँव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। घर के सभी काम पिता के सहमति से और सहयोग से होती है। अधिकांश परिवार एकल परिवार होती है। जिसमें पति, पत्नी एवं अविवाहित संतान साथ सम्मिलित होते हैं। विवाह के बाद लड़की ससुराल चली जाती है और लड़का अलग घर बसा लेता है। किन्तु पत्नी के निःसंतान होने पर दूसरी पत्नी रखने की स्वीकृति है। संयुक्त परिवार वर्त्तमान समय में कम पायी जाती है। आदिवासी उराँव जनजाति की इतनी विकसित और सभ्य समाज व्यवस्था था जो इतिहास के पन्नो में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेष से पता चलता है।

सामूहिकता ही उसकी पहचान है। आज भी उराँव जनजाति अपने ईष्ट–कुटुम्ब के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। वह किसी भी अन्य समुदाय के साथ नहीं रह सकते हैं। उसके स्वभाव से ही एक–दूसरे व्यक्ति के दुःख–दर्द, शादी–ब्याह में सप्ताह भर तक आनन्द लेते पाया गया है।

उराँव भुईंहर या मूल अधिवासी प्रकार्य के आधार पर दो खूट में खंडित हो जाते हैं। पहान और महतो या मुण्डा खूट महतो का ही गाँव का महतो और पहान खूट का पहान बनता है। पहान धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है और महतो गाँव का मुखिया जो गाँव का सामाजिक–प्रशासनिक प्रबंधन करता है। पहान पूजा–पाठ द्वारा देवी–देवताओं को प्रसन्न रखता है। आम आदमी और गाँव का कल्याण करता है। इसलिए कहावत है कि, पहान गाँव बनाता है, महतो गाँव चलाता है।

उराँव कई टोटमिक गोत्रों में बंटे हुए हैं गोत्र को किली कहते हैं। एक किली संबंधियों का वह समूह है जो अपने को एक ही पूर्वज से होना मानते हैं। लेविसः मारगन ने मातृ गोत्र, पितृ गोत्र की चर्चा करते हुए इनमें भेद मानते हैं। नृशास्त्रियों ने टोटमिक गोत्र की व्याख्या करते हुए कहा, इसके सदस्य किसी पशु, पक्षी या प्राकृतिक वस्तुओं को अपना प्रतीक या मिथक पूर्वज मानते हैं।

उराँव की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था घुमकुरिया (युवागृह) है। घुमकुरिया में युवक–युवतियों को गीत–संगीत, नृत्य आदि जनजातीय रीति–रिवाज व परम्पराओं का शिक्षण–प्रशिक्षण दिया जाता है। घुमकुरिया में युवक–युवतियों के लिए अलग–अलग प्रबंध होता है। युवकों के लिए ''जोंख एड़पा'' एवं युवतियों के लिए ''पेल एड़पा''। जोंख ऐड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश 10–11 वर्ष की आयु में मिलता है और विवाहित होते ही घुमकुरिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। घुमकुरिया में प्रवेष प्रायः सरहुल, करमा के समय होता है। घुमकुरिया का व्यय का भार अभिभावकों द्वारा शुल्क के रूप में दी गयी वस्तुओं से होता है।

देश की भूमि के 15वें क्षेत्र आदिवासी बहुल में स्वशासित समुदाय अंग्रेजी राज्य के पूर्व सामान्यतः विभिन्न राजघरानों से सम्बन्ध रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में घुसपैठ का विरोध करते रहे हैं। अंग्रेजों को अतिक्रमण करने पर ये दृढ़तापूर्वक विद्रोह करते रहे हैं। सीमित आर्थिक हित के कारण अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को अलग तथा अनुसूची जिला अधिनियम 1874 के अर्न्तगत कुछ सुरक्षा के साथ आंशिक रुप से अलग रखा था। इस एकता के तहत स्थानिय प्रशासन को काफी अधिकार दिया गया जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान लगान वसूली सजा का निर्धारण इत्यादि मुख्य थें

1881 मे मोनटेग चेलम्सफार्ड कमिशन ने प्रतिवेदन दिया जिसमें देश में स्थित आदिवासी क्षेत्रों के बारे में चर्चा थी कमिशन का सुझाव था राजनैतिक सुधार जिसे सारे देश में लागू किया जाना था उसे आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता था क्योकि में क्षेत्र बहुत ही पिछड़े थे इसलिए यह विचार किया गया कि ऐसे क्षेत्रों को कथित सुधार के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। 5

1899 में भारत सरकार अधिनियम बना और आदिवासी क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया पिछड़ा क्षेत्र और अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ही पिछड़े में जिन्हे प्रशासनिक सुधार के दायरे से पूर्ण रूपेण बाहर रखा गया इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए न तो केन्द्र न तो क्षेत्रीय विधायिका कानून बना सकती थी सिर्फ राज्यपाल अपने कौसिल या सलाहकारो के साथ यह करने का अधिकृत थे।

1919 में भारत सरकार अधिनियम प्रभाव मे आया और आदिवासी क्षेत्रों को विद्यायी सीमा से मुक्त रखा गया। इस क्षेत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया : 1. पूर्णतः वर्जित क्षेत्र और, 2. संशोधित वर्जित क्षेत्र। परन्तु वर्जन की सीमा में भिन्नता थी।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार इन क्षेत्रों को वर्जित क्षेत्र तथा आंशिक रूप वर्जित क्षेत्र धोषित किया गया। इन क्षेत्रों में संघीय विद्यान मण्डल अथवा प्राणतीय विद्यान मण्डल के नियमों का निषेध किया गया।

कैबिनेट मिशन स्टेटमेंट :

16 मई 1946 ने जोर दिया कि संविधान सभा को आदिवासी परिस्थिति यानी वर्जित एवं आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र की जरूरतों का विशेष ख्याल रखना चाहिए संविधान सभा के द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसे मौलिक अधिकारो तथा अल्पसंख्यको के अधिकारो पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सलाहकार समिति की छत्र क्षया में विभिन्न उपसमितियों का निर्माण किया गया और उनको आदिवासी वर्जित क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उसके बारे में रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गयी समितियों की आम राम बनी कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहाँ जाना चाहिए तथा प्राणतीय विधान मण्डल के कानून कम से कम कुछ निर्दिष्ट विषयों पर सामान तौर पर नहीं तो कुछ मामले स्वतः लागू न हो। यह आवश्यकता महसूस की गयी थी इन सुझावो के कार्यान्वयन के लिए इन क्षेत्रों को अधिसूचित करना होगा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेदकर ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र, वर्जित व अंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। उपसमितियों ने यह विचार दिया की कुछ विषयों के सम्बध में प्रांतीय विधान मण्डलो द्वारा जारी कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रो पर लागू नहीं किया जाना चाहिए यदि जनजातीय सलाहकार परिषद इन्हें उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं समझती।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लम्बे अवधि तक शासन व्यवस्था चलाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व के अन्य देशों में भी शासन चलाया गया और सभी जगह सामान्य रूप से शासन करती थी लेकिन हमारे देश में सभी जगह ब्रिटिश सरकार की शासन नहीं चली, जहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन बिल्कुल नहीं चली ब्रिटिश सरकार ने उसको Exclude Area कहा, जहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन आधा चला उसको Semi Excluded Area बताया गया और जिस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन सामान्य रूप से चलने लगा उस क्षेत्र को Regulated Area के नाम से जाना जाता है।

जब भारत आजाद हुआ। भारत का संविधान बना जिसमें संविधान में ExcludedArea को 6th Schedule Area, Semi Excluded Area को 5th Schedule Area तथा Regulated Area को General Area के रूप में दर्ज किया गया। Other Schedule Area में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कानून लागू भी हो सकती है और नहीं भी क्योंकि 6th Schedule Area में Autonomous District Council होता है एवं अपने जिले का कानून बनाने का अधिकार District Council को है।

5th Schedule Area (पांचवीं अनुसूची क्षेत्र ब्रिटिश सरकार ने जिसका Semi Excluded या अर्द्धवहिर्मूत क्षेत्र के नाम से परिभाषित किया था भारत के संविधान में वही 5th Schedule Area है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ब्रिटिश को इस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ काफी जूझना पड़ा था। झारखण्ड में भी ब्रिटिश शासन को आदिवासी क्षेत्र में शासन स्थापित करने के लिए इसी प्रकार से शासन स्थापित किया था जिसके कारण ही कोल्हान में पोड़ाहाट क्षेत्र में वीलकेन सन रोल एवं ग्रामीण क्षेत्र में मूल रोल एक्ट बनाकर एवं दक्षिणी छोटानागपुर में बिल्किन्सन एक्ट 1934 लागू किया गया था तथा संथाल परगना में दामिन ए कोह 1924 व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासक शासन चलाती थी। इससे भी आदिवासी शांत नहीं हुए और झारखण्ड के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों का विद्रोह फूट पड़ा जिसके कारण सरकार को CNT Act, SPT Act को बनाना पड़ा। 26th January 1950 को संविधान लागू हुआ जिसमें अनुच्छेद 244 (1) अधिसूचित क्षे. को परिभाषित किया गया अधिसूचित क्षेत्र का अशाय वैसे क्षेत्र से है जहां मूलवासियों का निवास है और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए है। ये क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न है अतः राज्य का सामान्य प्रशासन इन पर लागू नहीं हो सकता है। अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की व्यापक जबाव देही है। राज्यपाल के दिशा निर्देश से इन क्षेत्रों ाका प्रशासन होता था आश्यकता पड़ने पर इन्हें वर्जन एवं संशोधन का भी अधिकार प्राप्त था। इन क्षेत्रों में शांति एवं सुशासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त था किन्तु इस प्रकार के सभी अधिनियम पर गर्वनर जनरल की सहमति आवश्य होता है। राष्ट्रपति को सम्बधित राज्य के राज्यपाल के सलाह से किसी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र धोषित किये जाने के शर्त

1. जनजातीय जनसंख्या क्षेत्र बहुल्य हो।
2. जिला प्रखण्ड 41 तालुका के स्तर पर अधिसूचित का गठन जो प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त हो।
3. यदि कोई क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो।

राष्ट्रपतिने समय समय पर अधिसूचित क्षेत्र का आदेश जारी किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातीयों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश तेलांगाना उड़ीसा और झारखण्ड (10राज्यों) के जनजाति में जनसंख्या बाहुल को अधिसूचित क्षेत्र की मान्यता प्रदान की गयी है।

सम्बन्धित प्रान्तों के राज्यपाल सामान्य कानूनों के क्रियान्वयन से इन्हें अलग रख सकते हैं।

भारत सरकार के अधिनियम 1919 में सम्मिलित 1930 में साइमन कमीशन के विवरण में यह परिक्षेत्र 11 मिलियन जनसंख्या के साथ 310798.573 वर्ग किलोमीटर का है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अर्न्तगत अधिनियम अनुच्छेद 244 की पांचवीं और छठी अनुसूची में यथावत सम्मिलित की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पाँचवें अनुसूची क्षेत्र से आंशिक तौर पर अलग क्षेत्र है। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अधिकांश अलग परिक्षेत्र को छठी अनुसूची में लिया गया है।

निर्धारित परिक्षेत्र में शांति एवं सुसाशन के संरक्षण हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय को सुनिश्चित स्वायतता को संरक्षित रखा गया है। अनुसूची क्षेत्र को राष्ट्रपति की अधिसूचना अधिक या कम अथवा निरस्त कर सकती है। इन राज्यों के राज्यपाल निर्धारित परिक्षेत्र के प्रशासन हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हुए राज्यों को अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन शांति एवं सुशासन हेतु भूमिहस्तांतरण पर निषेध या प्रतिबन्ध और अनुसूची क्षेत्रों में प्रार्थना पत्र के आधार पर लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। ये राज्य आदिवासी सुझाव परिषद् टी.ए.सी. का गठन करके राज्यपालों को सलाह दे सकते हैं। छठी अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र स्वायत जिला परिषद शासित होंगे, इसके अन्तर्गत ये व्यापक विधायी न्यायालयी और

कार्यकारी शक्ति प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, पशु तालाब, मत्स्य पालन, सड़क परिवहन, जलमार्ग इत्यादि को सुनिश्चित करेगी।

गैर अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी बहुलता

अनुसूचित गाँव के गाँवों में गैर आदिवासी है, इसके विपरित गैर अनुसूचित क्षेत्र मे आदिवासी आबादी पाई जाती है। इस क्षेत्र के आदिवासी 1996 पंचायत अधिनियम से अप्रभावित रहेंगे, गैर अनुसूचित आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मांडा क्षेत्र कहा जाता है। यह गाँव आदिवासी की संख्या 50ः से अधिक है जिसमें 1996 के उपबन्धन का विस्तार माडा क्षेत्र में किया जाता है। यह आदिवासी बहुल गाँव गैर आदिवासी गाँव जनसंख्या से घिरे हुए हैं।[2]

केरल वैसे राज्य है जहाँ पर अनुसूची क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता और इस राज्य को 1950 को अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूची राज्य के रुप में घोषित नहीं किया गया था लेकिन वर्त्तमान में जनजातियों की अनुसूची क्षेत्र की माँग की गयी है। जिसके कारण राज्य की विधानसभा की विधायिका द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र का निर्धारण कर सीमांकन किया गया है। वैसे क्षेत्र को जनजातीय बस्तियों के रुप में सीमांकन है।[3]

इस अधिनियम का मूख्य उद्देश्य आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए नियंत्रण प्राप्त करने योग्य बनाना है जिससे की आदिवासियों की परम्परागत अधिकार एवं स्वशासन प्रणाली और अधिक मजबूत हो एवं आदिवासी समुदाय के लोगों का स्वाशासन व्यवस्था सक्षम हो।

अनुसूचित क्षेत्र :

- आजादी के बाद 26 जनवरी, 1950 को देश की शासन व्यवस्था संसदीय, न्यायिक और प्रशासनिक को चलाने के लिए भारतीय संविधान लागू हुआ।
- संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा, कल्याण एवं समुचित विकास के लिए हर तरह की व्यवस्था विभिन्न प्रावधानों के द्वारा लागू की गई है।
- भारतीय संविधान में आदिवासियों को एक विशेष स्थान देकर उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में एक संवैधानिक पहचान राज्यवार दी गई है।
- हर राज्य में जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं विकास का कार्य केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इसके अलावे देश के उन सभी राज्यों के ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जातियों के लोग रहते थे उन क्षेत्रों की पहचान कर वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यवार अनुसूचित क्षेत्र (पाँचवीं एवं छठी) घोषित किए गए।
- पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश आदि।
- छठी अनुसूची क्षेत्र–सभी उत्तरपूर्वी राज्य।

पाँचवीं एवं छठी अनुसूची

संविधान की पांचवीं अनुसूची की धारा (3) में कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल साल के अंत में या राष्ट्रपति को जब आवश्यक लगे तब तक उस राज्य को अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देना या गणराज्य की शासनशक्ति के दायरे में लाया जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्र (प्रावधान)

धारा 4 (1) में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित करने पर अनुसूचित जनजाति होने पर भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसे किसी भी राज्य में बीस से कम सदस्यों वाली एक जनजाति सलाहकार परिषद होगी और उन सदस्यों में जहाँ तक संभव है लगभग 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति के उस राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे मगर यदि किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में आवश्यक संख्याबल से कम है तो अन्य शेष पद उसी जनजाति के अन्य व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे।

धारा 4 (2) –का यह प्रावधान है कि जनजाति सलाहकार परिषद के सामने निर्देशित की जानेवाली राज्य के अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उन्नति से संबंधित बातों पर सलाह देना इस परिषद का कर्त्तव्य होगा।

धारा 5 (2) – में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में निवास करनेवाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा या उन्हें आपस में जमीन हस्तान्तरण के लिए मना करना या जमीन हस्तान्तरण पर पाबंदी लगाना यह राज्यपाल का उत्तरदायित्व है।[7]

संविधान की पांचवी, छठी अनुसूची में कहा गया है कि आदिवासी और अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी शोषित हैं। आदिवासियों की सभ्यता, उनके जमीन, उनके जंगल, वहाँ की खनिज संपदा और आदिवासियों की कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रावधान इस अनुसूची में किया गया है।

पंचायत से संबधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का ऐसा अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिला उपबन्ध धारा 4 में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है।[4]

(i) संविधान के भाग 9 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधान मंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से असंगत हो।

पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रुड़िजन्य विधि सामाजिक और धार्मिकपद्धतियों औरसमुदायिक सम्पदाओं की पारम्परिक प्रबंधन पद्धतियों के अनुरुप होगा।

(ii) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गाँवों के समूह से मिलकर बनेगा जिनके नामों का समावेष ग्राम स्तर पर पंचायती के लिए निर्वाचन नामावलियों में किया गया है।

(iii) एक भाव सामान्यतयाः निवासी या निवासियों के समूह या खेड़ा या खेड़ों के उस समूह को माना जाएगा जिसमें एक समुदाय के लोग रह रहे हैं और अपने कामकाज को परम्पराओं और रिवाजों के अनुसार चला रहे हैं।

(iv) प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परम्पराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने के परंपरागत तरीकों की रक्षा करने में सक्षम होगी।

(v) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन इसके पूर्व के ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन के लिए जाती और करेगी तथा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(vi) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उक्त पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करे।

(vii) प्रत्येक पंचायत में संबंधित समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलने का प्रावधान है। इसके साथ यही भी प्रावधान अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम न हो तथा पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(viii) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है नाम निर्देषन उस पंचायत में निवार्चित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।

(ix) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों का पुनर्वास करने से पहले ग्राम सभा या पंचायतों के उचित स्तर से सलाह ली जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं की वास्तविक योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में सामंजस्य राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।

(x) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस या खनन पट्टी देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत के उचित स्तर की सिफारिश अनिवार्य है।

(xi) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का योजना और प्रबंध समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा।

(xii) नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिा को आज्ञापरक बनाया जाएगा।

(xiii) राज्य विधान सभा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन के योग्य बनाने के लिए उचित शक्तियों और अधिकार देने के साथ–साथ ग्राम सभा और पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर निम्न अधिकार भी प्रदान करेगा।

(a) किसी भी मादक पदार्थ के उपयोग या बिक्री के नियमित, सीमित या प्रतिबंधित करना।

(b) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व।

(c) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने और किसी अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस लेने के लिए उचित कारवाई का अधिकार।

(d) गाँव के बाजारों के प्रबंधन की शक्ति।

(e) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने की प्रक्रिया पर नियंत्रण की शक्ति।

(f) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण की शक्ति।

(g) आदिवासी उपयोजनाओं सहित स्थानीय और कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण की शक्ति।

(xiv) पंचायतों को स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाते समय राज्य विधानमंडल सुनिश्चित करे कि उच्च स्तर की पंचायत निम्न स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों को अपने हाथ में न ले।

(xv) राज्य विधान सभा को पंचायत के जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों की तर्ज पर बनाने का प्रयोग करना चाहिए।

(xvi) इस अधिनियम द्वारा किये गये अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो ऐसे

अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधनों से असंगत हैं तब तक प्रवृत बना रहेगा जब तक उस किसी सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसिता नहीं कर दिया जाता या उस तारीख से जिसका राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता। परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपनी अवधि के समाप्त होने तक बनी रहेगी जब तक कि उन्हें उससे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा य किसी ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है। उस राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय को पारित किसी संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता।

अनुसूचित क्षेत्र : राज्यपाल के विशेषाधिकार

'' ***Art 244 (1) के अनुसार :*** पाँचवीं अनुसूचित वाले क्षेत्र के लिए महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार है कि केन्द्र एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित सामान्य कानूनों को लागू करने से पहले जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सुझाव से उसमें परिवर्त्तन या संशोधन करवा सकेंगे तथा शांति एवं कल्याणकारी प्रशासन हेतु नियम विनियम बना सकेंगे।

' अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राज्य के राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति जब भी चाहे उन्हें प्रतिवेदन देंगे।

' अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी जो राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की उन्नति एवं कल्याण के संबंध में परामर्श देने के लिए अधिकृत होगी।

अनुसूची क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधान :–

संविधान में किए गए प्रावधान मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं :–

(1) सुरक्षा से संबंधित।

(i) अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा।

(ii) अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान।

(iii) अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार सम्पति की सुरक्षा की गारंटी के तहत गैरआदिवासी को भूमि हस्तांतरण पर रोक।

(iv) अनुच्छेद–23 के अनुसार अनुचित शोषण के रोकथाम के लिए मानव के अनाचार एवं बलात श्रम गैरकानूनी घोषित।

(v) अनुच्छेद 29 के अनुसार जनजातियों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण।

(vi) अनुच्छेद (49) के अनुसार हर तरह के सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध संरक्षण।

(vii) अनुच्छेद 164 के अनुसार जनजातीय कल्याण हेतु झारखण्ड, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना।

' अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र के लिए महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार है कि केन्द्र एवं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य कानूनों को लागू करने से पहले जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सुझाव से उसमें परिवर्त्तन या संशोधन करवा सके तथा शांति तथा कल्याणकारी प्रषासन हेतु नियम–विनयम बना सके। विकास से संबंधित 'अनुच्छेद–275 (1)इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

अनुसूचित क्षेत्रों से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में निहित है।

झारखण्ड में अनुसूची क्षेत्र

झारखण्ड जहाँ पंचायती राज विधान ने अपनी पंचायत अधिनियम को पेशा (PESA) में 2001 में सम्मिलित किया।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2007 के द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पुनः परिभाषित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार झारखण्ड राज्य के निम्न क्षेत्र पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं।

(i) राँची जिला
(ii) खूँटी जिला
(iii) लोहरदगा जिला
(iv) गुमला जिला
(v) सिमडेगा जिला
(vi) पाकुड़ जिला
(vii) साहेबगंज जिला
(viii) पूर्वी सिंहभूम जिला
(ix) पश्चिमी सिंहभूम जिला
(x) सरायकेला, खरसावाँ जिला
(xi) दुमका जिला
(xii) जामताड़ा जिला
(xiii) लातेहार जिला
(xiv) गड़वा भंडरिया ब्लॉक
(xv) गोदड़ (सुन्दर पहाड़ी और बोआरीजोर ब्लॉक)
(xvi) पलामू (सतबरवा ब्लॉक के रावदा एवं बकोरिया पंचायत)5

अनुसूची क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधान :–

संविधान में किए गए प्रावधान मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं :–

(1) सुरक्षा से संबंधित

(i) अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा

(ii) अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान

(iii) अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार सम्पति की सुरक्षा की गारंटी के तहत गैर आदिवासी को भूमि हस्तांतरण पर रोक।

(iv) अनुच्छेद–23 के अनुसार अनुचित शोषण के रोकथाम के लिए मानव के अनाचार एवं बलात श्रम गैरकानूनी घोषित।

(v) अनुच्छेद 29 के अनुसार जनजातियों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों कासंरक्षण।

(vi) अनुच्छेद (49) के अनुसार हर तरह के सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरूद्धसंरक्षण।

' अनुच्छेद 164 के अनुसार जनजातीय कल्याण हेतु झारखण्ड, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना।

' अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र के लिए महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार है कि केन्द्र एवं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य कानूनों को लागू करने से पहले जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सुझाव से उसमें परिवर्त्तन या संशोधन करवा सके तथा शांति तथा कल्याणकारी प्रशासन हेतु नियम–विनयम बना सके। विकास से संबंधित 'अनुच्छेद–275 (1) अनुच्छेद–244 (i)

(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

(2) राज्यपाल वर्ष में कम से कम एक बार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देग। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देशदेने तक होगा।

(3) एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। जिनमें तीन चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। सलाहकार परिषद का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित विषय पर सलाह दें।

(4) राज्यपाल निदेश दे सकेगा कि संसद या राज्य विधान सभा द्वारा पारित कोई विशिष्ट अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट अपवादों और उपान्तरणों के अधीन लागू होगा।

(5) राज्यपाल शांति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा जो–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिशेध या निबंधन कर सकेगा।

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि आवंटन का विनियमन कर सकेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के धन उधार देते हैं। साहुकारों के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेगा। 6

विकास से संबंधित

अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष धनराशी प्रदान कर सकती है।

- अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में सुरक्षित सीटों की व्यवस्था।
- अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभाओं में सुरक्षित सीटों की व्यवस्था।
- अनुच्छेद 338 के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। संविधान के 65वें संषोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 339 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही केदींय कार्यपालिका समसायिक आवश्यकता के अनुसार राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में उचित निर्देश दे सकती है।

संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह आधार ही भारतीय प्रजातांत्रिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करती है जो आज सभी राज्यों में लागू किया गया। लेकिन हम जब इस पंचायती राज व्यवस्था आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देखते हैं तो इसके स्वरूप जो 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम में जो स्वरूप थी उससे भिन्न है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 243 (क) का प्रावधान किया गया है वह लागू न हो के अनुच्छेद 244 लागू किया गया है जिसमें वैसे क्षेत्र हैं जो राज्य की सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है और उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति को अपनी परम्पराओं और रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक साधनों की रक्षा एवं संरक्षण तथा प्रथागत विवादों का समाधान का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है तथा उस क्षेत्र के संसाधनों का प्रबंधन का अधिकार सौंपती है।

उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूची क्षेत्र के निर्धारण के लिए 1967 में कमिटि का गठन किया गया U.N Debor की अध्यक्षता में जो इसी रिपोर्ट के आधार पर 1969 में अनुसूची क्षेत्र का निर्धारण किया गया और भारतीय आदिवासी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से अलग माना गया। इस क्षेत्र के प्रषासन के लिए सीधे तौर से राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। यानी जो भी इस क्षेत्र में कानून लागू होगा वह राज्य के राज्यपाल के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। राज्य अगर इसके बिल्कुल विपरीत कानून बनाता है तो इस कानून को राज्यपाल लोकसभा में राज्य विधानसभा के कानून को प्रार्थना पत्र के माध्यम से संशोधन कर सकता है और इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए जनजातीय परामर्श दात्री संस्था का गठन कर इसी के माध्यम से सलाह लेकर कानून लागू कर सकता है और इसके संबंध में सीधे राज्यपाल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसी तरह का विचार आजादी से पूर्व 1852–53 आसपास ब्रिटिश मानवशास्त्री ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया था कि जनजातीय क्षेत्र को अलग रखा जाए। एक पार्क के रूप में जिसमें अनावश्यक रूप से अतिक्रमण एवं प्रवेश निशेध किया जाए ताकि उनके संस्कृति को अच्छुन बनाया रखा जा सके।

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संविधान के नौंवे भाग में शामिल किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कुछ मूलभूत और आवश्यक गुणों को निश्चितता, सततत और शक्ति जनजातीय क्षेत्रें जो जनजातीय लोगों की परम्परागत व्यवस्था थी। उससे सही ढंग से समन्वय नहीं कर पा रही थी जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम अपनी मूल्य उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रही थी। इसी मूल उद्देष्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज्य मंत्रालय ने PESA Act, 1996 के निर्माण के लिए दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में कमिटि का गठन 1994 में किया था। इस कमिटि का गठन 73वाँ संविधान संशोधन में प्रमुख प्रवधान के तहत ही किया गया था जो 24 April 1993 इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए सीधे तौर से राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। यानी जो भी इस क्षेत्र में कानून लागू होगा वह राज्य के राज्यपाल के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। राज्य अगर इसके बिल्कुल विपरीत कानून बनाता है तो इस कानून को राज्यपाल लोकसभा में राज्य विधानसभा के कानून को प्रार्थना पत्र के माध्यम से संशोधन कर सकता है और इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए जनजातीय परामर्श दात्री संस्था का गठन कर इसी के माध्यम से सलाह लेकर कानून लागू कर सी तरह का विचार आजादी से पूर्व 1852–53 आसपास ब्रिटिश मानवशास्त्री ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया था कि जनजातीय क्षेत्र को अलग रखा जाए। एक पार्क के रूप में जिसमें अनावश्यक रूप से अतिक्रमण एवं प्रवेश निषेध किया जाए ताकि उनके संस्कृति को अच्छुन बनाया रखा जा सके।

संवैधानिक राजनीतिक आरक्षण प्रावधानो के प्रभाव, के फलस्वरूप उराँव जनजाति के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक, राजनीतिक सम्मिलित है। अगर हम भारत में गणतंत्र के स्थापना के पूर्व एवं उपरान्त किसी भी जनजाति के चाहे वह झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के रूप में उराँव ही क्यों न हो उनके राजनीतिक व्यवस्था में भी हम बदलाव को भली–भाँति देख सकते हैं। भारत में गणतंत्र की स्थापना के बाद जनजातियों में राजनीतिक आरक्षण के फलस्वरूप प्रजातांत्रिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेष हुई और संविधान निर्माताओं ने उचित पर कई प्रकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को हम प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से देख एवं महसूस कर सकते हैं। इन संस्थाओं में आर्थिक प्रतिनिधित्व निचले वर्ग को देने के फलस्वरूप ही आज जनजातियों में उनके पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्त्तन हो रहे हैं राजनीतिक संस्कृति ग्रहण कर इन्होंने पंचायती राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए हैं जिससे कि झारखण्ड के उराँव जनजातियों में राजनीतिक चेतना में विकास हुआ है और झारखण्ड गठन के उपरान्त उराँव जनजातियों में कई राजनीतिक पहलूओं को देखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह प्रसाद वाइ बी. (2004), जनजातीय अधिकार एवं विकास, कैलाष पेपर कनवर्षन्स प्रा0 लि0, राँची

- सुनील कुमार, (2012), झारखण्ड परिदृष्य, रीडर्स कॉर्नर, फेजर रोड, पटना
- हसनैन नदीम, (1997), जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- शर्मा विमला चरण एवं विक्रम कीर्ति, (2008), झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेषन, राँची
- उराँव सोमे, झारखण्ड में परम्परागत स्वषासन व्यवस्था, राजभवन, राँची, 2012
- नायक, टी.बी, (1956), भील, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ